न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 170 / 2017–18 अन्तर्गत धारा–333 भू0रा0अधि0

1– श्रीमती रमा गौतम पत्नी स्व0 पंकज, 2. मा0 अक्षय गौतम पुत्र स्व0 पंकज गौतम, 3. श्रीमती मीना गौतम पत्नी स्वं संजीव गौतम, निवासीगण–हरर्बटपुर, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

बनाम

1– श्रीमती सन्तोष वर्मा पत्नी मिल्खीराम, 2. जफर अहमद पुत्र स्व0 शेर मौहम्मद, 3. सलीम पुत्र वहीद अहमद, 4. जाहिर अहमद नियाज अहमद पुत्र शेर अहमद, 5. साकिब पुत्र स्व0 सईद अहमद, 6. श्रीमती फातमा पत्नी सईद अहमद, 7. मौहम्मद अली व नासीम अहमद पुत्र स्व0 वहीद अहमद, 8. ग्राम सभा एटनबाग (वेट होप टाउन) परगना परवादून, जिला देहरादून द्वारा उसके ग्राम प्रधान, 9. नगर पंचायत, जिला देहरादून द्वारा चैयरमैन, 10. उत्तराचंल सरकार द्वारा कलेक्टर, जिला देहरादून, सभी निवासीगण–हरर्बटपुर, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

उपस्थित : श्री एस0 रामास्वामी, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकत्रीगण : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।

अधिवक्ता उत्तरदातागण सं0– : श्री पी0के0 गर्ग।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण ने विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, शिविर देहरादून द्वारा अपील संख्या–10 / 17–18 संतोष वर्मा बनाम रमा गौतम आदि में पारित आदेश दिनांक 29–11–2017 के विरूद्ध प्रमुखतः इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि, निगरानीकर्तागण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 वर्ष 2004–05 में योजित किया गया जो गुण दोष पर 13 वर्षों के पश्चात दिनांक 20–11–2017 को डिक्री हुआ तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्तागण के नाम दर्ज हुआ, कि अधीनस्थ न्यायालय में जब उत्तरदाता संख्या–1 संतोष वर्मा द्वारा एक अपील प्रस्तुत की गई जिसमें एक व्यक्ति प्रति उत्तरदाता संख्या–3 संजीव गौतम की मृत्यु पहले हो चुकी थी को पक्षकार बनाया गया है जिसमें दिनांक 29–11–2017 की तिथि प्रतिउत्तरदाता संख्या–3 के वारिसों को प्रतिस्थापन हेतु नियत की गई थी, कि दिनांक 29–11–2017 को अपीलार्थी / प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपील में संशोधन कर श्रीमती मीना

गौतम के नाम का संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाय। उसी दिन निगरानीकर्तागण द्वारा मा0 न्यायालय में आपत्तिपत्र, शपथपत्र और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर यह आपत्तियां की गई कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन पूर्ण हो चुका है और मौके पर विवादित भूमि पर निगरानीकर्तागण की पक्की चारदीवारी विद्यमान है उसे रंगीन फोटोग्राफ एवं शपथपत्र द्वारा पुष्ट किया गया है यह कि इसके साथ–साथ निगरानीकर्तागण ने दिनांक 29–11–2017 को ही अपीलार्थी द्वारा योजित अपील के विरूद्ध प्राथमिक आपत्तियां प्रस्तुत की थी जिसमें स्पष्ट कहा था कि अपीलार्थिनी का विवादित भूमि पर कभी कोई अधिपत्य नही रहा और उनके द्वारा मृतक संजीव गौतम प्रतिउत्तरदाता संख्या–3 को वाद में पक्ष बनाया गया है। इस कारण भी अपील चलने योग्य नही है तथा अपील के साथ कोई डिक्री की नकल भी प्रस्तुत नही की गई इसलिये भी अपील पोषणीय नही है क्योंकि अपील डिक्री की होती है यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने न तो अपील को संशोधन करने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र पर निगरानीकर्तागण को कोई आपत्ति का अवसर प्रदान किया गया और न ही उनकी सुनवाई की और एकतरफा उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया, कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्ता आदेश पारित करते हुए उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जो विधितः उनमें निहित नही था उन्होंने अपील सुनवाई हेतु गृहित किये बिना दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जिसका कि उन्हें निगरानीकर्तागण द्वारा की गई आपत्तियों का निराकरण करने के बाद ही दर्ज करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा कर क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य किया है एवं एकतरफा मनमाने, विधिविरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार से बाहर आदेश पारित कर सारवान एवं तात्विक भूल की है।

यह निगरानी दिनांक 30–11–2017 को सुनवाई उपरान्त ग्रहण की गई तथा आक्षेपित आदेश का प्रभाव स्थगित किया गया एवं अग्रिम तिथि 29–12–2017 नियत की गई, कि दिनांक 01–12–2017 को श्रीमती संतोष वर्मा अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुई तथा यह कथन किया कि निगरानी अर्न्तवर्ती आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें पारित स्थगन आदेश के कारण निगरानीकर्तागण उसे वादग्रस्त सम्पत्ति से मारपीट कर भगा रहे है जबकि वादग्रस्त सम्पत्ति पर उसका मकान बना हुआ है जिसे निगरानीकर्तागण तोड़ रहे है फलस्वरूप इस निगरानी को पुनः दिनांक 08–12–2017 को सुनने हेतु निगरानीकर्तागण को सूचित किया गया तथा दिनांक 08–12–2017 को दोनो पक्षों की बहस सुनी गई।

निगरानी पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं अवर अपीलीय न्यायालय के आदेश पत्र दिनांक 27–11–2017 एवं 29–11–2017 का अवलोकन किया गया। दिनांक 27–11–2017 के आदेश पत्र में उल्लेख किया गया है कि "दोनो पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या–3 संजीव गौतम की मृत्यु हो चुकी है। अतः पहले वारिसान प्रतिस्थापित किया जाय। पत्रावली दिनांक 29–11–2017 को पेश हो" दिनांक 29–11–2017 के आक्षेपित आदेश से प्रत्यर्थी संख्या–3 संजीव गौतम के स्थान पर

श्रीमती मीना गौतम को प्रतिस्थापित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा अपील दर्ज कर विधिवत पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये लेकिन अपील सुनवाई हेतु ग्रहण नही की गई तथा आगामी तिथि दिनांक 08–01–2018 नियत की गई तथा तब तक अवर न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित करते हुए स्थल पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये।

आक्षेपित आदेश दिनांक 29–11–2017 पारित करने से पूर्व निगरानीकर्तागण द्वारा अवर अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत आपत्तियों का कोई संज्ञान नही लिया है और न ही आक्षेपित आदेश में उनकी आपत्तियों के निस्तारण सम्बन्धी कोई विवेचन/विश्लेषण किया है। विद्वान अपर आयुक्त को चाहिए था कि वे सर्वप्रथम प्रथम अपील में मृतक पक्षकार बनाये गये प्रत्यर्थी संख्या–3 के विधिक वारिस प्रतिस्थापित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर निगरानीकर्ता को आपत्ति प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही उसका विधिवत निस्तारण करते एवं तत्पश्चात ही अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर पक्षकारों को सुनने के उपरान्त विधिवत आदेश पारित करते। ऐसा न कर उन्होंने आक्षेपित आदेश पारित करने में तात्विक एवं विधिक अनियमितता की है। फलस्वरूप निगरानी स्वीकारणीय है तथा आक्षेपित आदेश अपास्त होने योग्य है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण अवर न्यायालय को इस आशय से प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे सर्वप्रथम प्रत्यर्थी संख्या–3 के विधिक वारिसान कायम किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर निगरानीकर्तागण को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर उसका विधिसम्मत निस्तारण करेंगे। तत्पश्चात ही निगरानी की ग्राह्यता एवं स्थगन आदेश के सम्बन्ध में पक्षकारों को सुनने के उपरान्त निर्णय लेंगे। पक्षकार दिनांक 27–12–2017 को अवर न्यायालय में उपस्थित हों। तब तक पक्षकार वादग्रस्त सम्पत्ति में यथास्थिति बनाये रखेंगे। न्यायालय पत्रावली संचित की जाय।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 08–12–2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।